न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) घाटमपुर ,कानपुर देहात ।

CNRNo-UPRN0-18-000480-2013

प्रकीर्ण वाद सं०-03/2013

शिवगोपाल बनाम राजाराम ।

03-02-2021

प्रकीर्ण वाद पुकारा गया । पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी व विपक्षी/ निर्णीत ऋणी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित । प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद अत्यन्त प्राचीन इजरा वाद सं० 03/1982 भैरम प्रसाद बनाम राजाराम की पत्रावली से सम्बन्धित है । प्रार्थी शिव गोपाल की ओर से कथन किया गया है कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांकित 03-08-2016 के अनुपालन में उसने रू०,5,00000/-का बैंक ड्राफ्ट सं० 040700 दिनांकित 08-08-2016 विपक्षीगण/निर्णीत ऋणी को प्रदान करने हेतु नोटिस प्रेषित किया परन्तु उसके द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राप्त नहीं किया गया । तदोपरान्त उसने उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट न्यायालय में पत्रावली में दाखिल करा दिया जो पत्रावली में शामिल है । अतः प्रार्थी को गाटा सं० 32 पर कब्जा दखल दिलाया जाए ।

विपक्षी निर्णीत ऋणी की ओर से कथन किया गया है कि उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं० 4900/2016 दाखिल की गयी थी जो दिनांक 11-12-2018 को खारिज हो गयी थी जिसका रेस्टोरेशन लम्बित है । अतः उक्त प्रकीर्ण वाद की सुनवाई हेतु कोई अग्रिम तिथि प्रदान कर दी जाए ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इजरा वाद सं० 03/1982 भैरम प्रसाद बनाम राजाराम प्राचीनतम वाद है और प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद उपरोक्त इजरा वाद से सम्बन्धित है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय जनपद न्यायालय द्वारा स्थगित नहीं है और न ही पक्षकारों द्वारा इस सम्बन्ध में कथन किया गया है । चूंकि प्रस्तुत प्रकरण काफी प्राचीन है । अतः प्रस्तुत वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी भैरम प्रसाद द्वारा निर्णीत ऋणी राजाराम आदि के विरूद्ध एक मूल वाद जो संविदा के विशिष्ट अनुपालन हेतु दाखिल किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध रू०,4140/- की वसूली किये जाने हेतु आज्ञप्ति जारी की गयी थी परन्तु उक्त वसूली की अदायगी न करने पर वादी मुकदमा द्वारा इजरा वाद सं० 03/1982 प्रस्तुत किया गया । न्यायालय द्वारा विवादित भूमि गाटा सं० 32 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा 5 बिस्वांसी स्थित ग्राम घाटमपुर कानपुर की नीलामी को दिनांक 25-10-1991 को कन्फर्म कर दिया गया तथा दिनांक 06-01-1992 को प्रार्थी के नाम से सेल सर्टीफिकेट जारी कर दिया गया । इसी बीच निर्णीत ऋणी राजाराम द्वारा नीलामी आदेश दिनांकित 25-10-1991 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 27-10-1993 को आदेश दिनांकित 25-10-1991 निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा निगरानी सं० 53/1993 प्रस्तुत की गयी । माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27-10-1993 को निरस्त कर दिया गया । जिसके विरूद्ध विपक्षी /निर्णीत ऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12-09-2003 को निरस्त कर दिया गया । तदोपरान्त विपक्षी निर्णीत ऋणी राजाराम द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील नं०-5935/2005 दाखिल की गयी जो कि माननीय

उच्च्तम न्यायालय द्वारा दिनांक 13-09-2013 को निरस्त कर दी गयी तथा प्रार्थी शिवगोपाल को निर्णीत ऋणी को रू०,5,00000/-प्रदान किये जाने हेतु आदेशित किया गया जिसके सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 03-08-2016 के द्वारा प्रार्थी को रू०,5,00000/- विपक्षी को प्रदान करने हेतु तथा विपक्षी को विवादित भूमि सं० 32 से कब्जा हटा लेने का आदेश पारित किया गया । विपक्षी द्वारा बैंक ड्राफ्ट न प्राप्त करने की दशा में प्रार्थी को न्यायालय में दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया । प्रार्थी द्वारा रू०,5,00000/-का बैंक ड्राफ्ट सं० 040700 दिनांकित 08-08-2016 विपक्षीगण/निर्णीत ऋणी को प्रदान करने हेतु नोटिस प्रेषित किया परन्तु उसके द्वारा डिमाण्ड ड्राफट प्राप्त नहीं किया गया । तदोपरान्त उसने उक्त डिमाण्ड ड्राफट न्यायालय में पत्रावली में दाखिल करा दिया जो पत्रावली में शामिल है । तदोपरान्त निर्णीत ऋणी /विपक्षी द्वारा उक्त प्रकीर्ण वाद में पारित आदेश दिनांकित 03-08-2016 के विरूद्ध माननीय जनपद न्यायालय कानपुर देहात में सिविल निगरानी सं० 50/2016 दाखिल की गयी जिसमें माननीय जनपद न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03-08-2016 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गयी । विपक्षी निर्णीत ऋणी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका नं० 4900/2016 दाखिल की गयी । प्रार्थी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में आई ०ए०नं०-8/2016 योजित की गयी । जिसमें पारित आदेश दिनांकित 30-01-2017 के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका नं० 4900/2016 व सिविल निगरानी नं० 50/2016 को दिनांक 11-12-2018 को खारिज कर दिया गया । इस प्रकार वर्तमान में प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की कार्यवाही किसी भी न्यायालय से स्थगित नहीं है । अतः प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होगा । चूंकि प्रार्थी द्वारा आदेश दिनांकित 03-08-2016 का अनुपालन किया जा चुका है । ऐसी दशा में प्रार्थी को विवादित गाटा सं० 32 में कब्जा दखल दिलाया जाना आवश्यक है ।

अमीन अदालत को परवाना जारी हो । प्रार्थी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे । अदालत अमीन को आदेशित किया जाता है कि विवादित गाटा सं० 32 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा 5 बिस्वांसी स्थित ग्राम घाटमपुर कानपुर पर प्रार्थी को कब्जा दखल दिलाकर अपनी आख्या नियत तिथि तक न्यायालय में प्रस्तुत करें । अमीन अदालत को यह भी आदेशित किया जाता है कि मौके पर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में पुलिस बल की सहायता सम्बन्धित थाने से प्राप्त कर सकते हैं । सम्बन्धित थाना अध्यक्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था गोपाल एण्ड अदर्स बनाम अमरजीत सिंह एण्ड अदर्स 2019 (133 A L R 508) के अनुपालन में आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु बाध्य है । अतः सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि यदि अदालत अमीन द्वारा पुलिस बल की सहायता मांगी जाती है तो उक्त की स्थिति में उपरोक्त गाटा सं० में कब्जा दखल दिलाये जाने हेतु पुलिस बल उपलब्ध करावें । अदालत अमीन अपनी आख्या नियत तिथि से पूर्व प्रेषित करे । कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त बैंक ड्राफ्ट सं० 040700 को सुरक्षरित रखना सुनिश्चित करें । विपक्षी /निर्णीत ऋणी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त बैंक ड्राफ्ट को प्राप्त कर सकता है । पत्रावली वास्ते अदालत अमीन आख्या दिनांक 18-02-2021 को को पेश हो ।

दिनांक 03–02–2021

(राम गोपाल यादव)
सिविल जज (जू०डि०)
घाटमपुर ,कानपुर देहात ।
J.O.Code–UP02304

Digitally signed by Ram Gopal Yadav
Date: 2021.02.08 14:29:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court